

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0

तारीख दायरा

तारीख फैसला

05/2025

08.01.2025

05/01/2028

पीठारसीन अधिकारी- दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1- हुसेन पुत्र काइद जोहर जाति बोहरा मुसलमान निवासी राधाविलास बोहरा मोहल्ला, फूल बिहारी जी के मन्दिर के पास, कोटा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

- 1- अशोक आत्मज किशन चन्द
- 2- भुवनेश आत्मज किशन चन्द
जाति नाई निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा
- 3- चिन्तामणी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी सुखलाल निवासी कैथून अहिरवाडा वार्ड स0 13
कैथून शहर जिला कोटा
- 4- श्यामा बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि बजरंगलाल नि0 खेडा तहसील हरिगढ जिला
झालावाड
- 5- सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति नाई नि0 कराडिया तह0 दीगोद जिला कोटा
- 6- छोटूलाल आत्मज श्रीकृष्ण
- 7- रामप्यारी पुत्री श्रीकृष्ण पत्नि सुरेश निवासीगण खेडली तहसील दीगोद जिला कोटा
- 8- त्रिलोक चन्द आत्मज किशन गोपाल
- 9- महावीर प्रसाद आत्मज किशन गोपाल
- 10- श्याम सुन्दर आत्मज किशन गोपाल जाति नाई नि0 बरगू तह0 दीगोद जिला कोटा
- 11- पवन पुत्र ओमप्रकाश
- 12- मनोज पुत्र ओमप्रकाश
जाति नाई निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा
- 13- मुकेश कुमार पुत्र दुर्गा शंकर(मृतक) जरिये कायम मुकाम
13/1- सीमा बेवा मुकेश कुमार
13/2- विशाल पुत्र स्व0 मुकेश कुमार ना0बा0 जरिये वली माता सीमा जाति नाई
निवास ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा
- 14- मुरलीधर पुत्र दुर्गा शंकर
- 15- महावीर प्रसाद पुत्र दुर्गा शंकर
- 16- मांगी बाई पत्नी दुर्गा शंकर
- 17- राजेश बाई पुत्री दुर्गा शंकर,
- 18- सुमन बाई पुत्री दुर्गा शंकर
जाति नाई निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा

- 19- शकुन्तला बाई पुत्री कल्याण जाति नाई निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा
20- मन्जूबाई पत्नी शिवप्रकाश जाति नाई निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा
21- राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी की ओर से -
प्रतिवादीगण की ओर से-

श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
श्री दीन दयाल सेन एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा
निर्णय


वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण नं० 1 ता 20 के शामलाती खातेदारी की भूमि वाके ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद में खाता सं० 86 नया, पुराना 83 पर निम्न खसरा नम्बरान की कुल 15 किता की 10-8241 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी नं० 1 व 2 का 1/15, 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 3 ता 5 का 1/45, 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 6-7 का 2/9, 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 8 ता 10 का 1/45, 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 11-12 का 1/24, 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 13 से 18 का 1/54, 1/54 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 19 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 20 का 1/12 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी सलंग्न है।

खसरा नम्बर 154 की 0-7200 हेक्टर, खसरा नम्बर 198 की 0-0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 212 की 0-8500 हेक्टर, खसरा नम्बर 213 की 1-7300 हेक्टर, खसरा नम्बर 250 की 1-3300 हेक्टर, खसरा नम्बर 251 की 0-0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 464/207 की 0-1720 हेक्टर, खसरा नम्बर 466/208 की 0-8221 हेक्टर, खसरा नम्बर 47 की 0-3800 हेक्टर, खसरा नम्बर 48 की 0-3400 हेक्टर, खसरा नम्बर 51 की 0-8100 हेक्टर, खसरा नम्बर 52 की 0-0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 53 की 0-6300 हेक्टर, खसरा नम्बर 77 की 1-2200 हेक्टर, खसरा नम्बर 87 की 1-6600 हेक्टर, कुल 15 किता की 10-8241 हेक्टर

2. यह कि वादी व प्रतिवादीगण नं० 1 ता 20 उपरोक्त भूमियों पर शामलाती रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु प्रतिवादी गण नं० 1 ता 20 वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते है इस कारण वादी ने प्रतिवादी नं० 1 ता 20 से उक्त भूमियों का विभाजन करने हेतु दिनांक 2-1-2025 को कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन कराने से इन्कार कर दिया।

3. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।


उपरखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

4. यह कि वाद कारण दिनांक 2-1-2025 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमियों का विभाजन कराने से इन्कार कर दिया तथा वादी के कब्जे में व्यवधान पैदा किया।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे—


1. कि ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद की वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 154 की 0-7200 हेक्टर, खसरा नम्बर 198 की 0-0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 212 की 0-8500 हेक्टर, खसरा नम्बर 213 की 1-7300 हेक्टर, खसरा नम्बर 250 की 1-3300 हेक्टर, खसरा नम्बर 251 की 0-0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 464/207 की 0-1720 हेक्टर, खसरा नम्बर 466/208 की 0-8221 हेक्टर, खसरा नम्बर 47 की 0-3800 हेक्टर, खसरा नम्बर 48 की 0-3400 हेक्टर, खसरा नम्बर 51 की 0-8100 हेक्टर, खसरा नम्बर 52 की 0-0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 53 की 0-6300 हेक्टर, खसरा नम्बर 77 की 1-2200 हेक्टर, खसरा नम्बर 87 की 1-6600 हेक्टर कुल 15 किता की 10-8241 हेक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादी नं० 1 ता 20 के मध्य प्रत्येक खसरा नम्बरान की भूमि में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन किया जाकर वादी के 1/6 हिस्से की भूमि को अलग खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

2. कि प्रतिवादी नं. 21 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण 13 लगायत 18 की ओर से श्री दीनदयाल सेन एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी क्र० 3 स्वयं उपस्थित हुई व आदेशिका पर स्वयं हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी क्र० 1, 2, 4 ता 12 तथा 19 व 20 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किये जाने के कारण तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी की ओर से साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये जिन पर प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गई। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई।

वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया तथा प्रकरण में उपस्थित प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये विवादित आराजी का पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वाद प्राथमिक डिक्री/निर्णय किया जावे।

उभयपक्ष को सुना जाकर बाद अवलोकन परिणामतः वाद वादी व प्रतिवादी की सहमति के आधार पर अपने हिस्से अनुसार पृथक पृथक खातेदार दर्ज करवाने के कथन को स्वीकार किया जाकर ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 154 की 0-7200 हेक्टर, खसरा नम्बर 198 की 0-0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 212 की 0-8500 हेक्टर, खसरा नम्बर 213 की 1-7300 हेक्टर, खसरा नम्बर 250 की 1-3300 हेक्टर, खसरा नम्बर


उपस्थित अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

251 की 0-0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 464/207 की 0-1720 हेक्टर, खसरा नम्बर 466/208 की 0-8221 हेक्टर, खसरा नम्बर 47 की 0-3800 हेक्टर, खसरा नम्बर 48 की 0-3400 हेक्टर, खसरा नम्बर 51 की 0-8100 हेक्टर, खसरा नम्बर 52 की 0-0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 53 की 0-6300 हेक्टर, खसरा नम्बर 77 की 1-2200 हेक्टर, खसरा नम्बर 87 की 1-6600 हेक्टर कुल 15 किता की 10-8241 हेक्टर भूमि में राजस्व मण्डल के नियम 18-20 के तहत प्रकरण में दिनांक 23.07.2025 को प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार दीगोद से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाया गया। प्राथमिक निर्णय अनुसार तहसीलदार दीगोद से पत्रांक भू0अभि0/2025/5243 दिनांक 15.12.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार दीगोद से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया:-

ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 154 की 0-7200 हेक्टर, खसरा नम्बर 198 की 0-0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 212 की 0-8500 हेक्टर, खसरा नम्बर 213 की 1-7300 हेक्टर, खसरा नम्बर 250 की 1-3300 हेक्टर, खसरा नम्बर 251 की 0-0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 464/207 की 0-1720 हेक्टर, खसरा नम्बर 466/208 की 0-8221 हेक्टर, खसरा नम्बर 47 की 0-3800 हेक्टर, खसरा नम्बर 48 की 0-3400 हेक्टर, खसरा नम्बर 51 की 0-8100 हेक्टर, खसरा नम्बर 52 की 0-0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 53 की 0-6300 हेक्टर, खसरा नम्बर 77 की 1-2200 हेक्टर, खसरा नम्बर 87 की 1-6600 हेक्टर कुल 15 किता की 10-8241 हेक्टर भूमि में खातेदारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जो निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	नाम खातेदार	ख०न०	रकबा(है०)	दिशा
1	हुसेन पुत्र काईद जोहर जाति बोहरा (मुसलमान) निवासी राधा विलास बोहरा मोहल्ला फूल बिहारी मंदिर के पास कोटा, जिला कोटा	48 51 52 53 ----- किता 4 -----	0.3400 0.8100 0.0240 0.6300 ----- 1.8040 है० -----	- - पश्चिम -
2	प्रतिवादी न० 1,2,19 हि० 7216/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 3,4,5,8,9,10 हि० 2405/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 6,7 हि० 12027/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 11,12 हि० 4510/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 13/1,13/2, हि० 1002/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 14,15,16,17,18 हि० 2005/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 20 हि० 9020/90201	154 198 212 213 250 251 464/207 466/208 47 52 77 87 ----- किता 12 -----	0.7200 0.0500 0.8500 1.7300 1.3300 0.0600 0.1720 0.8221 0.3800 0.0260 1.2200 1.6600 ----- 9.0201 है० -----	- - - - - - - - पूर्व - -

उपरोक्त अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)

यह कि वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करते हुए फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन इस पर बहस उभयपक्ष की सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया व इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये प्रतिवादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की है। राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेज एवं बहस वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता एवं प्रस्तुत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है।

निम्नानुसार विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम खातेदार	ख०न०	रकबा(है०)	दिशा
1	हुसेन पुत्र काईद जोहर जाति बोहरा (मुसलमान) निवासी राधा विलास बोहरा मोहल्ला फूल बिहारी मंदिर के पास कोटा, जिला कोटा	48	0.3400	-
		51	0.8100	-
		52	0.0240	पश्चिम
		53	0.6300	-
		किता 4	1.8040 है०	-
2	प्रतिवादी न० 1,2,19 हि० 7216/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 3,4,5,8,9,10 हि० 2405/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 6,7 हि० 12027/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 11,12 हि० 4510/90201 प्रत्येक प्रतिवादीन० 13/1,13/2, हि० 1002/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 14,15,16,17,18 हि० 2005/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 20 हि० 9020/90201	154	0.7200	-
		198	0.0500	-
		212	0.8500	-
		213	1.7300	-
		250	1.3300	-
		251	0.0600	-
		464/207	0.1720	-
		466/208	0.8221	-
		47	0.3800	-
		52	0.0260	पूर्वी
		77	1.2200	-
		87	1.6600	-
किता 12	9.0201 है०	-		

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उभयत पक्ष में सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तहसीलदार दीगोद नियमानुसार राजस्व वसूल करे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/01/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपदीगोद अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी- दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1- हुसेन पुत्र काइद जोहर जाति बोहरा मुसलमान निवासी राधाविलास बोहरा मोहल्ला, फूल बिहारी जी के मन्दिर के पास, कोटा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

- 1- अशोक आत्मज किशन चन्द
2- भुवनेश आत्मज किशन चन्द
जाति नाई निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा
3- चिन्तामणी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी सुखलाल निवासी कैथून अहिरवाडा वार्ड स0 13
कैथून शहर जिला कोटा
4- श्यामा बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि बजरंगलाल नि0 खेडा तहसील हरिगढ जिला
झालावाड
5- सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति नाई निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला
कोटा
6- छोटूलाल आत्मज श्रीकृष्ण
7- रामप्यारी पुत्री श्रीकृष्ण पत्नि सुरेश निवासीगण खेडली तहसील दीगोद जिला कोटा
8- त्रिलोक चन्द आत्मज किशन गोपाल
9- महावीर प्रसाद आत्मज किशन गोपाल
10- श्याम सुन्दर आत्मज किशन गोपाल जाति नाई निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला
कोटा
11- पवन पुत्र ओमप्रकाश
12- मनोज पुत्र ओमप्रकाश
जाति नाई निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा
13- मुकेश कुमार पुत्र दुर्गा शंकर(मृतक) जरिये कायम मुकाम
13/1- सीमा बेवा मुकेश कुमार
13/2- विशाल पुत्र स्व0 मुकेश कुमार ना0बा0 जरिये वली माता सीमा जाति नाई
निवास ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा
14- मुरलीधर पुत्र दुर्गा शंकर
15- महावीर प्रसाद पुत्र दुर्गा शंकर
16- मांगी बाई पत्नी दुर्गा शंकर
17- राजेश बाई पुत्री दुर्गा शंकर,
18- सुमन बाई पुत्री दुर्गा शंकर
जाति नाई निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा
19- शकुन्तला बाई पुत्री कल्याण जाति नाई निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा
20- मन्जूबाई पत्नी शिवप्रकाश जाति नाई निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा
21- राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वादीगणकी की ओर से –
प्रतिवादीगण की ओर से–

श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
श्री दीन दयाल सेन एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा

मिसल नं 05/2025


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं की है। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है।

निम्नानुसार विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है:—


क्र० सं०	नाम खातेदार	ख०न०	रकबा(है०)	दिशा
1	हुसेन पुत्र काईद जोहर जाति बोहरा (मुसलमान) निवासी राधा विलास बोहरा मोहल्ला फूल बिहारी मंदिर के पास कोटा, जिला कोटा	48	0.3400	—
		51	0.8100	—
		52	0.0240	पश्चिम
		53	0.6300	—
		-----	-----	-----
		किता 4	1.8040 है०	-----
2	प्रतिवादी न० 1,2,19 हि० 7216/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 3,4,5,8,9,10 हि० 2405/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 6,7 हि० 12027/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 11,12 हि० 4510/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 13/1,13/2, हि० 1002/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 14,15,16,17,18 हि० 2005/90201 प्रत्येक प्रतिवादी न० 20 हि० 9020/90201	154	0.7200	—
		198	0.0500	—
		212	0.8500	—
		213	1.7300	—
		250	1.3300	—
		251	0.0600	—
		464/207	0.1720	—
		466/208	0.8221	—
		47	0.3800	—
		52	0.0260	पूर्वी
		77	1.2200	—
		87	1.6600	—
		-----	-----	-----
		किता 12	9.0201 है०	-----
-----	-----	-----		

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उभयत पक्ष में सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तहसीलदार दीगोद नियमानुसार राजस्व वसूल करे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्ताख्त व मोहर से आज दिनांक 5/1/26 को जारी किया गया।


उपरोक्त अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्ई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
थमलान	0	0	मिलान	0	0


 उपखण्ड अधिकारी
 दीगोद, जिला कोटा (राज.)